

रायपुर : छत्तीसगढ़ के सभी राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों की सुनवाई 4 मई से

रायपुर, 0.

राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षा के लिए सुरक्षात्मक उपायों के साथ 4 मई से शासकीय कार्यालयों का संचालन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। शासन के निर्देशानुसार न्यायालयों का संचालन 4 मई से शुरू होगा और लम्बित प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित कोरबा जिले में कटघोरा नगरपालिका और सूरजपुर जिले में जजावल कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में स्थित सभी शासकीय कार्यालयों का संचालन अभी प्रारंभ नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं तदनुसार इन दोनों स्थानों में राजस्व न्यायालयों का संचालन जाएगा।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ के सभी संभागायुक्त, कलेक्टरों, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और समस्त पीठासीन न्यायालयों को राजस्व न्यायालय का संचालन सुरक्षात्मक उपायों के साथ 4 मई से शुरू करने को कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि राजस्व न्यायालय में प्रतिदिन सुनवाई की अवधि अनधिक रखी जाए। प्रत्येक कार्य दिवस में सीमित संख्या में ही प्रकरणों को सुनवाई के लिए रखा जाए। एक समय में केवल एक ही प्रकरण से संबंधित पक्षकारों को न्यायालय कक्ष में प्रवेश दिए जाने पर आवेदन, शिकायत प्राप्त करने के लिए न्यायालय कक्ष के बाहर आवेदन, शिकायत पेट्टी रखी जाए। नये आवेदनों को प्राप्त करने के लिए तथा राजस्व न्यायालय से संबंधित अन्य कार्यों के लिए एन प्रणाली की व्यवस्था भी की जाए। न्यायालयों में स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार सेनेटाइजेशन तथा शासकीय कर्मियों एवं पक्षकारों, अधिवक्ताओं के मध्य सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। राजस्व ई-कोर्ट प्रणाली का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए।

आदेश में सभी कलेक्टरों को संबंधित जिले के भीतर अधीनस्थ राजस्व न्यायालय के संबंध में समयावधि तथा अन्य प्रक्रिया के संबंध में समुचित दिशा-निर्देश जारी करने कहा गया है।

क्रमांक-

TAGS:

 Print this article

